हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या यू0 डी0–ए0(3)13/2015–लूज शिमला–2 तारीख 05–12–2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल , पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम , 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र , हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम , 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 7) अभिप्रेत है;

(ख) "आयुक्त" से, नगर निगम का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "कार्यकारी अधिकारी" से , नगर परिषद् का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से , इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ड़) "लोक प्रयोजन" के अन्तर्गत अधिनियम के सन्दर्भ में निम्नलिखित हैं,–

(i) सड़कों, गलियों (स्ट्रीटस) पथों (लेनज) को चौड़ा करना ;

(ii) सड़कों, गलियों (स्ट्रीटस) पथों (लेनज) के संरेखण बदलना ;

(iii) क्लोवर लीव्ज के आकार के या उसके बिना फ्लाईओवर और स्लिप डाउन सड़कों का निर्माण ;

(iv) छोटे मार्गों (अन्डर पासिज) का निर्माण करना ;

(v) भूमि का उस प्रयोजन के लिए विकास करना जिसके लिए यह किसी लोक परियोजना के लिए आरक्षित या अर्जित की गई है;

(vi) नगर योजना स्कीमों का कार्यान्वयन ;

(vii) जल ,अंधड़ जल या मलनालियाँ बिछाना ;

(viii) सेवाओं के लिए अन्तःस्थ पंपिंग स्टेशनों का निर्माण ;

(ix) सार्वजनिक सुविधाएं ;

(x) लोक परिवहन से सम्बन्धित कोई परियोजना जैसे कि बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी. आर. टी. एस.) ,मैट्रो आदि ;

(xi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इ डबल्यू एस) के हेतु आवास बनाना;

(xii) पार्कों, उद्यानों का निर्माण करना और अमोद–प्रमोद के क्षेत्रों की व्यवस्था करना;

(xiii) इको सिस्टम रिसोर्स का उस क्षेत्र में संरक्षण करना ; और

(xiv) स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किया गया कोई अन्य विकास कार्य जिसका अत्याधिक समुदाय हिताधिकारी हो ;

(च) "नियमों" से अधिनियम की धारा 36 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूची" से ,इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "सचिव" से ,नगर पंचायत का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ; और

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदो के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय–2

पथ विक्रेता की आयु

3. पथ विक्रेता की न्यूनतम आयु.– पथ विक्रय के लिए पथ विक्रेता की न्यूनतम आयु चौदह वर्ष होगी।

अध्याय–3

नगर विक्रय समिति

4. नगर विक्रय समिति का गठन.–(1) प्रत्येक नगर पालिका नगर विक्रय समिति का निम्नलिखित रीति में गठन करेगी, अर्थात् :–

अ. नगर निगम की दशा में समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात :–

शासकीय सदस्य

(i) नगर निगम आयुक्त, नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण का चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थय निवारक उपायों के प्रबन्धन का कोई भारसाधक अधिकारी ;

(iii) कलक्टर का प्रतिनिधि ;

(iv) योजना प्राधिकरण का प्रतिनिधि ;

(v) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पुलिस पदधारी जो सहायक पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो ; और

(vi) यातायात पुलिस का एक प्रतिनिधि :

परन्तु अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित एक शासकीय सदस्य समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

गैर–सरकारी सदस्य–

(i) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, एक पार्षद ;

(ii) समिति में , पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि ,कुल सदस्यों के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होंगें ;

(क) नगर विक्रय समिति हेतु पथ विक्रेताओं का निर्वाचन करते समय यदि नगर विक्रय समिति उचित समझे तो वह चक्रानुक्रम आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किए जाने वाले स्थानों की संख्या का विनिश्चय करेगी ; और

(ख) नगर विक्रय समिति , महिलाओं के लिए एक–तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए , प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व आरक्षित और सामान्य प्रवर्गों के स्थानों , जिन का प्रतिनिधित्व केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा, की संख्या विनिश्चित करेगी।

(iii) समिति मे , समुदाय आधारित संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य , कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;

(iv) मण्डी और व्यापार संगमों का एक सदस्य ;

(v) आवासीय कल्याण संगमों का एक सदस्य; और

(vi) यथास्थिति शहर , या नगर के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि।

आ. नगरपालिका परिषद् की दशा में, समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :–

शासकीय सदस्य–

(i) कार्यकारी अधिकारी ,नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) उप–मण्डल मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि ;

(iii) चिकित्सा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि ;

(iv) पुलिस निरीक्षक ;

(v) यातायात पुलिस का प्रतिनिधि और

(vi) राज्य के नगर एवं ग्राम योजना विभाग का कोई पदधारी या प्रतिनिधि जो स्थानीय तौर पर या किसी निकटतम शहर या नगर में तैनात हो :

परन्तु अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित एक शासकीय सदस्य समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

गैर –सरकारी सदस्य

(i) स्थानीय प्राधिकरण का एक सदस्य ;

(ii) समिति में , पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि ,कुल सदस्यों के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होंगें ;

(क) नगर विक्रय समिति हेतु पथ विक्रेताओं का निर्वाचन करते समय यदि नगर विक्रय समिति उचित समझे तो वह चक्रानुक्रम आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किए जाने वाले स्थानों की संख्या का विनिश्चय करेगी ;

(ख) नगर विक्रय समिति महिलाओं के लिए एक–तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व आरक्षित और सामान्य प्रवर्गों के स्थानों, जिन का प्रतिनिधित्व केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा, की संख्या विनिश्चित करेगी।

(iii) मण्डी और व्यापार संगमों का एक सदस्य ;

(iv) समिति मे , गैर–सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के सदस्य कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;

(v) आवासीय कल्याण संगमों का एक सदस्य; और

(vi) यथास्थिति , शहर या नगर के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि।

इ. नगर पंचायत की दशा में समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :–

शासकीय सदस्य–

(i) सचिव, नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) तहसीलदार का एक प्रतिनिधि ; और

(iii) चिकित्सा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि ;

(iv) पुलिस उपनिरीक्षक ; और

(v) यातायात पुलिस का प्रतिनिधि।

गैर–सरकारी सदस्य–

(i) स्थानीय प्राधिकरण का एक सदस्य ;

(ii) समिति में , पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि ,कुल सदस्यों के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होंगें ;

(क) नगर विक्रय समिति हेतु पथ विक्रेताओं का , निर्वाचन करते समय यदि नगर विक्रय समिति उचित समझे तो वह चक्रानुक्रम आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किए जाने वाले स्थानों की संख्या का विनिश्चय करेगी ;

(ख) नगर विक्रय समिति महिलाओं के लिए एक–तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व आरक्षित और सामान्य प्रवर्गों के स्थानों, जिन का प्रतिनिधित्व केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा , की संख्या विनिश्चित करेगी।

(iii) मण्डी और व्यापार संगमों का एक सदस्य ;

(iv) समिति मे , गैर–सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के सदस्य कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;

(v) आवासीय कल्याण संगमों का एक सदस्य; और

(vi) यथास्थिति , शहर या नगर के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि

(2) गैर–सरकारी सदस्य नियम 6 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित या चयनित किए जाएंगे।

(3) आरक्षण की प्रतिशतता का अनुसरण राज्य सरकार के प्रचलित दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों) के अनुसार किया जाएगा।

5. अनंतिम नगर विक्रय समिति.–(1) नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकरण/नगरपालिका ,के लिए, ऐसे समय तक, जब तक पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण न हो जाए और ऐसे सर्वेक्षण के आधार पर पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन न हो जाए, अनंतिम नगर विक्रय समिति गठित करेगी। स्थानीय प्राधिकरण , इस प्रयोजन हेतु अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित विभिन्न प्रवर्गों की अनन्तिम नगर विक्रय समिति के समस्त सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन अनन्तिम नगर विक्रय समिति के लिए पथ विक्रेताओं का नामनिर्देशन ऐसे दस्तावेजों पर आधारित होगा, जो व्यक्ति की पिछले छह मास से अधिक से शहर या नगर में पथ विक्रेता के रूप में , जिसके लिए अनन्तिम नगर विक्रय समिति गठित की जानी है, हैसियत को सिद्ध करती है।

(3) उप–नियम (1) के अधीन गठित अनन्तिम नगर विकय समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा या ऐसे समय तक ,जब तक किए गए सर्वेक्षण के आधार पर नगर विकय समिति के पथ विक्रेताओं का निर्वाचन ,जो भी पूर्वतर हो , नहीं हो जाता है।

6. गैर–सरकारी सदस्यों के निर्वाचन या चयन की पद्धति.–(1) स्थानीय प्राधिकरण का जनरल बोर्ड स्थानीय प्राधिकरण के किसी एक सदस्य को नगर विक्रय समिति के लिए नामनिर्दिष्ट करने का विनिश्चय करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, पथ विक्रता संगमों, मण्डी और व्यापार संगमों, गैर सरकारी संगठनों, आदि से सदस्यों के नामनिर्देशन की पद्धति के लिए, निम्नलिखित किसी एक प्रक्रिया का विनिश्चिय कर सकेगाः–

(क) जहां नगर विक्रय समिति के गैर सरकारी सदस्यों के लिए मत आधारित निर्वाचन कराने का विनिश्चिय किया गया है तो वहां कलक्टर या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रायः स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण करके संस्थान–वार निर्वाचन संचालित किया जाएगा ; और

(ख) जहाँ लाट द्वारा चयन करने का विनिश्चय किया गया है तो वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा , अर्थात् :–

(i) स्थानीय प्राधिकरण नगर विक्रय समिति की सदस्यता के लिए आवेदन मंगवाने का नोटिस अपनी वेबसाइट पर तथा हिंदी में प्रकाशित किन्ही दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। नोटिस की एक प्रति को स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर मंडी या मंडियों में किसी सहज दृश्य स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा ;

(ii) ऐसे नोटिस के प्रकाशन में अन्य बातों के साथ –साथ प्रकाशन की तारीख , आवेदन हेतु प्ररूप ,अभ्यर्थी की अर्हता] आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख और आवेदन प्रस्तुत करने की रीति भी अंतर्विष्ट होगी ;

(iii)नोटिस , समिति की सदस्यता हेतु आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए , अंतिम तारीख से तीस दिन पूर्व प्रकाशित किया जाएगा ;

(iv) कोई व्यक्ति, पथ विक्रेताओं के किसी संगम , मंडी संगम , व्यापारियों के संगम ,गैर–सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन तथा आवासीय कल्याण संगम का सदस्य होने के कारण , समिति के सदस्यता के लिए आवेदन करने का पात्र होगा ; किन्तु ऐसे व्यक्ति ने अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी दाण्डिक अपराध के लिए सामान्य निर्वाचन में भाग लेने हेतु अक्षम घोषित करते हुए सिद्धदोष न पाया गया हो ;

(v) स्थानीय प्राधिकरण ,आवेदक की विशिष्टियां और कार्य अनुभव के ब्यौरे , विशिष्टतः अनियमित मण्डी या मण्डियों की अधिकारिता मे तथा स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर , पथ विक्रेताओं की बावत , सूचना तथा अन्य ऐसी सूचना , जैसे यह उचित समझ , मांग सकेगी ।

(vi) स्थानीय प्राधिकरण]ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट (यूनिक) नम्बर आवंटित करेगी और उसे प्रत्येक आवेदक को संसूचित करेगी ; और

(vii) यदि किसी एक प्रवर्ग के लिए प्राप्त आवेदन अपेक्षित संख्या से अधिक हैं तो स्थानीय प्राधिकरण , हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में निकाले जाने वाले लाट के आधार पर सदस्य का चयन करेगी

(3) पथ विक्रेताओं में से नगर विक्रय समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन इन नियमों से संलग्न अनुसूची में उपबंधित रीति में संचालित किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय अग्रणी बैंक अपने किसी पदधारी को समिति के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकरण , उपर्युक्त सूचना तथा नगर विक्रय समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सूची , समिति की सदस्यता हेतु आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर , अपनी वैबसाइट पर डालेगी ।

(6) नगर विक्रय समिति की विरचना को (शासकीय और गैर सरकारी सदस्यों की) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा राजपत्र , हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाएगा ।

(7) नगर विक्रय समिति का कार्यकाल .– (1) नगर विक्रय समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से पांच वर्ष का होगा ।

(2) नई नगर विक्रय समिति गठन करने की प्रक्रिया ,विद्यमान समिति की अवधि के अवसान से पूर्व] पूर्ण कर ली जाएगी ।

(8) नगर विक्रय समिति के सदस्य का हटाया जाना.– यदि स्थानीय प्राधिकरण की राय में नगर विक्रय समिति का कोई सदस्य अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे प्रदत कर्तव्यों के अनुपालन में लगातार व्यतिक्रम करता है या अपनी शक्तियों की सीमा का उल्लंघन करता है या उनका अधिक दुरूपयोग करता है तो अध्यक्ष , आदेश द्वारा , नगर विक्रय समिति से ऐसे सदस्य को हटा सकेगी :

परन्तु ऐसे सदस्य को , हटाए जाने के आदेश को पारित करने से पूर्व , सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(9) रिक्त पद को भरने की पद्धति.– जहां विद्यमान नगर विक्रय समिति में कोई रिक्ति किसी सदस्य के त्यागपत्र , मृत्यु , हटाए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से होती है तो वहां ऐसी रिक्ति को भरने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो इन नियमों के नियम 6 में अधिकथित है ।

(10) नगर विक्रय समिति की बैठक की प्रक्रिया .– (1) नगर विक्रय समिति अपनी प्रथम बैठक में , अपने कारबार के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं का विनिश्चय करेगी।

(2) बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

(3) सदस्य सचिव , अनुसूचित बैठक से सात दिन पूर्व नोटिस जारी करेगा ।

(4) बैठक में विचार किए जाने वाली मदों की कार्यसूची , सदस्यों को परिचालित की जाएगी और शासकीय अभिहित वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी । प्रत्येक कार्यसूची मद प्रशासन , द्वारा की गई सुस्पष्ट सिफारिशों , यदि कोई हो , सहित अन्तवर्लित विवाद्यकों को अभिव्यक्त करते हुए विस्तृत नोट के साथ होगी ।

(5) बैठक की गणपूर्ति समिति की कुल संख्या के दो–तिहाई से होगी ।

(6) निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जायेगा ।

(7) गणपूर्ति के अभाव में कोई भी बैठक नहीं होगी और जहां गणपूर्ति नहीं होती है तो वहां बैठक स्थगित कर दी जाएगी ।

(8) बैठक के कार्यवृत , अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और उन्हें समिति की पश्चात्वर्ती बैठक में पुष्टि हेतु रखा जाएगा।

(9) बैठक के कार्यवृत स्थानीय निकाय की वैबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ।

(10) नगर विक्रय समिति की बैठक प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार की जाएगी।

(11) नई गठित नगर विक्रय समिति की प्रथम बैठक इसके गठन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर नियत की जाएगी ।

11 सदस्यों की निरर्हर्ता .– नगर विक्रय समिति के सदस्य की अनुपस्थिति की छुट्टी तथा निरर्हता निम्नलिखित रीति में विनिश्चित की जाएगी ,अर्थात् ;

(i) कोई सदस्य अत्यावश्यकता की दशा में समिति के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बैठक से अनुपस्थित रह सकेगा ;

(ii) जब कोई सदस्य अत्यावश्यकता की दशा में अनुज्ञा के बिना तीन लगातार बैठकों में अनुपिस्थत रहता है तो अध्यक्ष] ऐसे सदस्यों को , बैठकों में उसकी , अनुपस्थिति के कारण , दो सप्ताह के भीतर स्पष्ट करने के लिए , कारण बताओ नोटिस जारी करेगा । यदि ऐसा सदस्य , अपनी अनुपस्थिति हेतु संतोषजनक स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत कर देता है तो उसे सदस्य के रूप में बने रहने दिया जा सकेगा (

(iii) जहां ऐसा सदस्य बैठक में अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई संतोषजनक कारण देने में असफल रहता है या नियत समय के भीतर कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देता है , तो नगर विक्रय समिति से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और सदस्य को नगर विक्रय समिति द्वारा समाप्ति आदेश संसूचित किया जाएगा (

(iv) किसी दाण्डिक मामले में सिद्धदोष ठहराया गया कोई सदस्य दोषसिद्धि की तारीख से विक्रय समिति का सदस्य नहीं रहेगा : और

(v) कोई सदस्य , जो नगर विक्रय समिति की सदस्यता खो देता है तो वह राज्य सरकार को , समाप्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से, एक मास के भीतर अपील कर सकेगा। राज्य सरकार, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगी और उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

12. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रास्थिति पत्र और पथ विक्रय रूपरेखा का रखा जाना.–नगर विक्रय समिति द्वारा प्रक्रिया संबन्धी ब्यौरों को अंतिम रूप देने के पश्चात् और इससे पूर्व कि यह स्थायी कारबार आरम्भ करती है , स्थानीय प्राधिकरण , शहर या नगर में समिति के सदस्यों के बीच विक्रय रूपरेखा का निम्नलिखित व्यौरों से अंतर्विष्ट , प्रास्थिति पत्र प्रचारित करेगी, अर्थात् :–

(i) नक्शों में उपदर्शित शहर या नगर में पथ विक्रय क्षेत्र ,

(ii) शहर या नगर जहां पहले ही सर्वेक्षण कर लिया गया है, में पथ विक्रेताओं की संख्या, अन्यथा अनुमानित संख्या के बारे में संकेत दिए जा सकते हैं ,

(iii) पथ विक्रय दृष्टिकोण से तीव्र पदचाप क्षेत्रों, क्षीण पदचाप क्षेत्रों और मध्य श्रेणी क्षेत्रों के बारे में सूचना ,

(iv) मौसमी विक्रय (सीजनल वैंडिंग) क्षेत्रों, उपयुक्त बाजार क्षेत्रों और रात्रि बाजार क्षेत्रों, अविकसित क्षेत्रों में सम्भाव्य तीव्र पदचाप स्थान ,

(v) विक्रीत वस्तुओं के विस्तृत प्रवर्ग,

(vi) यातायात के दृष्टिकोण से क्षेत्रों की समस्या ,

(vii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के सुसंगत उपबन्धों की सूची , और

(viii) स्वास्थय और स्वस्थ वृत पहलुओं की परिगणना जिसका ध्यान पथ विक्रेताओं द्वारा रखा जाना आवश्यक है।

स्पष्टीकरणः– यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाए कि प्रस्तुत किया गया डाटा जहां तक सम्भव हो, प्रमाणिक तथा अद्यतन (अप–टू–डेट) हो। यह वस्तुतः , समिति को विनिश्चय लेने में सुकर बनाने के लिए बेसलाइन डाटा से होगा। ये डाटाबेस डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं यदि समिति द्वारा ऐसा करना वांछनीय हो।

13. नगर विक्रय समिति के कृत्य.–अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगर विक्रय समिति निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:–

(i) पथ विक्रय हेतु सर्वेक्षण संचालित करना और विक्रय क्षेत्रों (जोनों) के बारे में स्कीम के अधीन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निष्पन्न (वर्कड आउट) उन की धारण क्षमता सहित अंतिम निर्णय लेना ;

स्पष्टीकरणः–विक्रय क्षेत्रों (जोनों) का विनिश्चय करने के लिए नगर विक्रय समिति स्थानीय प्राधिकरण अधिकारी से मूल सामग्री (बेस मटीरियल) या डाटा लेगी। उप–विधियों और योजना से विक्रय क्षेत्रों (जोनों) की पहचान होगी ,

(ii) जहां समिति जोनिंग या व्यष्टि विक्रेता को आंबटित किए जाने वाले क्षेत्र में परिवर्तन करना आवश्यक समझती है तो यह योजना का उपयुक्त रूप से उपांतरण करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर सकेगी। स्थानीय प्राधिकरण की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् समिति उस पर अंतिम विनिश्चय लेगी ;

(iii) विक्रय क्षेत्रों (जोनों) में परिवर्तन करने की सिफारिश और सुझाव देते समय समिति सम्बद्ध क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई, यातायात आवागमन ,पैदल चलने वालों की स्थिति को ध्यान में रखेगी ;

(iv) विक्रय प्रमाणपत्र जारी करना, विधारित करना , उनका नवीकरण करना , रद्द करना या उसको निलंबित करना ;

(v) स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक संपरीक्षा करना ;

(vi) परम्परागत बाजार या त्यौहारी बाजार की दशा में उनकी सही अवस्थिति और विशिष्ट अवधि सहित स्थानीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर प्राकृतिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, परम्परागत बाजार, त्यौहारी बाजार, सामायिक बाजार, रात्रि बाजार और आला बाजार की घोषणा करना। जहां ऐसे बाजार नए विकसित हो रहे हों, वहाँ समिति , क्षेत्र और ऐसे अन्य पहलुओं , जैसे यह आवश्यक समझे , का आवश्यक सर्वेक्षण करवाएगी और स्थिति को देखते हुए उस स्थान को उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग का कोई बाजार घोषित करेगी ;

(vii) राज्य सरकार को समय–समय पर अधिनियम तथा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित विवरणियां प्रस्तुत करना ;

(viii) राज्य सरकार को पथ विक्रेताओं हेतु ऋण बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमें उपलब्ध करवाने के प्रोत्साहनीय उपाय करने की सूचना उपलब्ध करवाना ;

(ix) अर्थव्यवस्था में पथ विक्रेताओं की भूमिका के बारे में लोगों में चेतना जागृत करना , और

(x) अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा यथा सौंपे गए ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना।

14. विनिर्दिष्ट विवाद्यक के लिए उप–समिति.– नगर विक्रय समिति , समय–समय पर उत्पन्न होने वाले किसी विशिष्ट विवाद्यक का परीक्षण करने और उस पर सुझाव देने के लिए विनिश्चय कर सकेगी तथा इस के सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक उप–समिति का गठन कर सकेगी।

15. गैर–सरकारी सदस्यों के भत्ते.– गैर–सरकारी सदस्य , ऐसी बैठक फीस के हकदार होंगे, जैसी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय प्राधिकरण (अथारिटी) द्वारा विनिश्चित की जाए। बैठक में गणपूर्ति न होने की दशा में ऐसे सदस्य को , जिसने ऐसी गणपूर्ति न होने वाली बैठक में भाग लिया है, बैठक फीस का पचास प्रतिशत संदत्त किया जाएगा।

16. बैठक में सहयुक्त किए जाने वाले व्यक्ति.– नगर विक्रय समिति किसी वृत्तिक को , जो पथ विक्रय या स्थानिक योजना विवाद्यकों सहित अनौपचारिक आर्थिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ है , पथ विक्रय सम्बन्धी मामलों पर राय लेने के लिए , सहयोजित कर सकेगी। ऐसे विशेषज्ञ को बैठक में चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को ऐसा मानदेय संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए।

17. समिति के कर्मचारी.–(1) नगर विक्रय समिति का अपना स्थायी कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) स्थानीय प्राधिकरण , नगर विक्रय समिति के अनुरोध पर , अपनी लागत पर पर्याप्त कर्मचारी कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था करेगा किन्तु समिति द्वारा स्थापन लागत के मद्दे कोई भी स्थायी दायित्व सृजित नहीं किया जाएगा।

अध्याय–4

विवाद निवारण प्रणाली

18. शिकायत निवारण समिति का गठन.–(1) राज्य सरकार , पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण करने या विवादों का समाधान करने के लिए एक या एक से अधिक शिकायत निवारण समितियों का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार , शिकायत निवारण समिति के अधिकारिता क्षेत्र तथा मुख्यालय का विनिश्चय करेगी।

(3) (क) राज्य सरकार सिविल न्यायाधीश या ज्यूडिशॅल मजिस्ट्रेट को शिकायत निवारण समिति के लिए, अध्यक्ष के रूप में और दो अन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(ख) शिकायत निवारण समिति के अन्य दो सदस्यों में से एक , यथास्थिति , क्षेत्र मे नगर निगम का सेवा–निवृत निगम आयुक्त या नगरपालिका का सेवा निवृत कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत का सेवा निवृत सचिव होगा तथा समिति का दूसरा सदस्य विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता , अधिमानता पथ विक्रय के क्षेत्र सहित अनौपचारिक आर्थिकी क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा।

(4) शिकायत निवारण समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(5) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को ऐसा पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाए।

19. शिकायत निवारण समिति को आवेदन करने का प्ररूप और रीति.–(1) कोई पथ विक्रेता, जिसकी इस अधिनियम (धारा 11 के सिवाय) या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई की बाबत कोई शिकायत या विवाद है , तो वह लिखित में प्ररूप–4 में या तो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत निवारण समिति को आवेदन कर सकेगा।

(2) पथ विक्रेता द्वारा ऐसा आवेदन किसी ऐसी घटना, जिससे शिकायत या विवाद उत्पन्न हुआ हो, के होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) शिकायत निवारण समिति किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगी, जहा .–

(क) आवेदन अनाम है या इस में साधारण तथा अस्पष्ट अभिकथन अंतर्विष्ट हैं;

(ख) मामला विधि के किसी न्यायालय, अधिकरण या न्यायिक या न्यायिकल्प प्राधिकरण में विचाराधीन है;

(ग) मामला , अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है;

(घ) आवेदक को आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है।

20. शिकायत निवारण समिति द्वारा सुनवाई करने की रीति.–(1) शिकायत निवारण समिति , नियम 19 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक के साथ , यह अवधारित करने के लिए कि क्या कोई प्रथमदृष्टया मामला बनता है और क्या सुविधा की दृष्टि से आवेदक के पक्ष में पलड़ा भारी है , प्रारम्भिक सुनवाई करेगी। पथ विक्रेता ऐसे आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत की भी प्रार्थना कर सकेगा।

(2) प्रारम्भिक सुनवाई का परिणाम सुनवाई की समाप्ति पर सुनाया जाएगा और लिखित में अभिलिखित किया जाएगा तथा आवेदक को संसूचित किया जाएगा। शिकायत निवारण समिति, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, पथ विक्रेता द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत, यदि कोई हो , को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(3) जहां शिकायत निवारण समिति द्वारा यह धारित किया गया है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तो शिकायत या विवाद के ब्यौरे से अंतर्विष्ट एक नोटिस लोक प्राधिकरण को जारी किया जाएगा।

(4) ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर लोक प्राधिकरण नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर दाखिल करेगा। उत्तर की एक प्रति निःशुल्क पथ विक्रेता को भी दी जाएगी।

(5) पथ विक्रेता , राज्य प्राधिकरण द्वारा दाखिल किए गए लिखित उत्तर की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिउत्तर दाखिल कर सकेगा।

(6) शिकायत निवारण समिति, आवेदक या प्रत्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिरोध के सम्बन्ध में तथा इसके समक्ष रखे गए अभिलेख के सन्दर्भ में भी अपने सदस्यों में से किसी एक को या स्थानीय प्राधिकरण के किसी पदधारी को प्रतिनियुक्त कर फील्ड जांच हेतु आदेश दे सकेगी।

(7) शिकायत निवारण समिति दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस तारीख, जिसको दोनों पक्षकारों की सुनवाई पूरी हो जाती है, से एक मास की अवधि के भीतर विनिश्चय करने के लिए कारणों सहित , लिखित में आदेश पारित करेगी।

(8) शिकायत निवारण समिति का विनिश्चय पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर होगा जब तक कि नगरपालिका समिति , जिसे अपील हो सकती है, द्वारा इसे रोक न दिया जाए।

अध्याय–5

अपील

21 नगर विक्रय समिति के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील– (1)कोई व्यक्ति , जो नगर विक्रय समिति के विक्रेता प्रमाण पत्र को जारी करने या विक्रेता के प्रमाण पत्र के रद्दकरण

या उसका निलंबन करने की बाबत विनिश्चय या आदेश से व्यथित है , तो वह नगर विक्रय समिति के विनिश्चय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररुप–5 में या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्थानीय प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट नियत अवधि के अवसान के पश्चात् दाखिल की गई कोई अपील स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी :

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण विलंब के लिए माफी दे सकेगा यदि उस का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी नियत अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(3) स्थानीय प्राधिकरण ऐसी अपील को , अपील दाखिल करने की तारीख से , तीस दिन की अवधि के भीतर निपटाएगा।

(4) स्थानीय प्राधिकरण दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् , ऐसा विनिश्चय करने के लिए कारणों सहित , लिखित में आदेश पारित करेगा।

22. शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध अपील.–(1) शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति , शिकायत निवारण समिति के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप–5 में , या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से , स्थानीय प्राधिकरण को लिखित में अपील कर सकेगा।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट नियत अवधि के अवसान के पश्चात् दाखिल की गई कोई अपील स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी :

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी नियत अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(3) स्थानीय प्राधिकरण अपील की प्राप्ति पर संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई की तारीख तथा समय की सूचना देते हुए नोटिस जारी करेगा। सुनवाई की तारीख अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर नियत की जाएगी।

(4) स्थानीय प्राधिकरण, दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस तारीख, जिसको दोनों पक्षकारों की सुनवाई पूरी हो जाती है , से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में आदेश पारित करेगा।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

23. पथ विक्रेताओं के अद्यतन अभिलेख अनुरक्षित करने की रीति.–(1) नगर विक्रय समिति के कागजी अभिलेख को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आबंटित स्थान पर इसके कार्यालय (सेक्रेटेरिएट) द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा और सॉफ्ट कॉपी भी उपयुक्त रूप से बनाई रखी जाएगी। नगर

विक्रय समिति द्वारा लिए गए समस्त निर्णय (विनिश्चय) पदाभिहित (डेजिगिनेटड) बैवसाइट पर डाले जाएंगे।

(2) पथ विक्रेताओं को स्थान आबंटित करने से सम्बन्धित अभिलेख दस वर्ष तक रखा जाएगा । अन्य अभिलेख , जब तक कि ये किसी विधिक कार्यवाहियों के लिए आवश्यक न हो , पांच वर्ष की अवधि हेतु रखा जाएगा।

(3) पथ विक्रय के विद्यमान स्थल सहित पथ या सड़क योजना नगर विक्रय समिति का स्थायी अभिलेख होगी।

24. स्कीम का सारांश प्रकाशित करने की रीति .– अधिनियम की धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम का सारांश दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उसे नगर विक्रय समिति की वैबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्कीम का ऐसा प्रकाशन , राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

25. राज्य सरकार को विवरणियाँ प्रस्तुत करना .– प्रत्येक नगर विक्रय समिति धारा 30 के अधीन यथा अपेक्षित विवरणी, प्ररूप–7 में विनिर्दिष्ट व्यौरों सहित समय–समय पर, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

अनुसूची

(नियम 6 (3)देखें)

पथ विक्रेताओं में से नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन की रीति :–

1 स्थानीय, प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का संचालन करने के लिए अपना आशय अभिव्यक्त करेगी।

2 स्थानीय प्राधिकरण ,स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति सदस्यों के लिए निर्वाचन का संचालन करने के प्रयोजन हेतु , रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा।

3 खण्ड 2 के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी पथ विक्रेताओं में से, नगर विक्रय समिति के सदस्यों हेतु , इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति मे , निर्वाचन का संचालन करेगा।

4 चल विक्रेता, स्थायी विक्रेता या पथ विक्रेता, यदि वह नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध का सिद्धदोष है या वह नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप में अक्षम है, तो वह नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु निर्रहित होगा।

5 स्थानीय प्राधिकरण अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियन्त्रण करेगा।

6 पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के आशय को अभिव्यक्त करने वाली अधिसूचना जैसी ही जारी कर दी जाती है और निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है , तो स्थानीय प्राधिकरण संकल्प द्वारा , निर्वाचनों के संचालन के लिए तारीख , समय तथा स्थान अवधारित करेगा।

7 स्थानीय प्राधिकरण के संकल्प या विनिश्चय का नोटिस नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय के व्यवसाय में लगे हुए पथ विक्रेताओं के बीच निम्नलिखित में से किसी एक पद्धति द्वारा परिचालित किया जाएगा, अर्थात :–

(क) दो अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में जिन में से एक हिन्दी में होगा, प्रकाशित लोक सूचना द्वारा ;

(ख) स्थानीय वितरण द्वारा;

(ग) डाक के प्रमाणन के अन्तर्गत डाक द्वारा;

(घ) रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पट (बोर्ड) सहित सक्षम प्राधिकरण के पास सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विसीज द्वारा नोटिस में निम्नलिखित के सम्बन्ध में जानकारी होगी –

(i) अनुसूचित जन जातियों , अनुसूचित जातियों , अन्य पिछड़े प्रवर्गों , महिलाओं, निःशक्त व्यक्तिओं , अल्पसंख्यकों या किन्हीं अन्य प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षित स्थानों सहित निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या;

(ii) नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख] स्थान और समय ,निर्वाचन के लिए नियत तारीख से पूर्व की ऐसी तारीख जो सात सुस्पष्ट दिनों से कम न हो या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो आगामी दिन जिसको सार्वजनिक अवकाश न हो;

(iii) नामांकन पत्रों की संवीक्षा करने की तारीख और समय ; और

(iv) मतदान की तारीख ,स्थान तथा समय।

8. स्थानीय प्राधिकरण , नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय के व्यवसाय में लगे हुए पथ विक्रेताओं की सूची, जो नामाँकन आमंत्रित करने हेतु नियत तारीख से तीस दिन पूर्व की हो, तैयार करेगा और उक्त सूची की प्रतियाँ नगर विक्रय समिति के सूचना पट पर, नामांकन आमंत्रित करने के लिए नियत तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व, चिपका कर प्रकाशित (पब्लिश) करेगा। सूची में पथ विक्रय प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रीकरण संख्या और पथ विक्रेता का नाम, यथास्थिति, पिता या पति का नाम और पथ विक्रेता का पता विनिर्दिष्ट होगा। यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्त्तव्य होगा कि वह पथ विक्रेताओं का अद्यतन रजिस्टर और ऐसे अन्य रजिस्टर, जैसा रिटर्निंग अधिकारी अपेक्षा करे, लाए और ऐसा अभिलेख या रजिस्टर, निर्वाचन के प्रयोजन हेतु नियत तारीख से तीस दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे। सूची की एक प्रति, यथास्थिति, नगर विक्रेता समिति या स्थानीय प्राधिकरण या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी पथ विक्रेता को ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , दी जाएगी।

9. निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामाँकन प्रारूप–1 में किया जाएगा जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पथ विक्रेता को निःशुल्क दिया जाएगा।

10. अभ्यर्थी नामांकन पत्रों के साथ दो हजार रूपये नकद में या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या पे–आर्डर के माध्यम से का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी डाले गए मतों का 1/6 हिस्सा (छटा हिस्सा) प्राप्त करने में असफल रहता है तो प्रतिभूति निक्षेप स्थानीय प्राधिकरण में समपहृत हो जाएगा।

11. प्रत्येक नामाँकन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके प्रस्थापक या समर्थक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन पत्र पर उसकी क्रम संख्या दर्ज करेगा और उसके द्वारा प्राप्त किए गए नामाँकन पत्र की तारीख और समय को प्रमाणित करेगा और तुरन्त नामाँकन पत्र की प्राप्ति के लिए एक लिखित अभिस्वीकृति रसीद प्रदान करेगा जिस पर नगर विक्रय समिति या रिटर्निंग अधिकारी की मुहर लगी होगी। उस नामांकन पत्र को जो ,उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय को या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होता है, अस्वीकार कर दिया जाएगा।

12 (i) नामांकन पत्रों की प्राप्ति हेतु नियत तारीख के आगामी दिन को रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों को अभिरक्षा में रखेगा (

(ii)रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी नामांकन की बाबत आक्षेपों का विनिश्चय करेगा और या तो ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से और ऐसी संक्षिप्त जांच, यदि कोई हो, जैसी रिटर्निंग अधिकारी आवश्यक समझें , के पश्चात किसी नामांकन को नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नामांकन केवल उसके नाम या उसके प्रस्थापक या समर्थक के नाम या अभ्यर्थी के या किन्ही अन्य विशिष्टियों या उसके प्रस्थापक या समर्थक से सम्बन्धित , जैसी कि खण्ड 8 में निर्दिष्ट पथ विक्रेताओं की सूची में दर्ज है , के गलत विवरण के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा यदि , यथास्थिति ,अभ्यर्थी , प्रस्थापक या समर्थक की पहचान युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो जाती है।

(iii) रिटर्निंग अधिकारी , यथास्थिति , निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या प्रस्थापक या समर्थक को , समस्त नामांकन पत्रों की जॉच करने और उनके समाधानप्रद कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम का सम्मिलित किया जाना विधिमान्य है, समस्त युक्तियुक्त प्रसुविधाएं देगा (

(iv) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे मंजूर (स्वीकार) या नामंजूर (अस्वीकार) करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामांकन पत्र नामंजूर (अस्वीकार) किया गया है] तो वह ऐसी नामंजूरी के लिए अपने कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित में अभिलिखित करेगा (vऔर

(v) रिटर्निंग अधिकारी, कार्यवाहियों का कोई स्थगन, सिवाय जब ऐसी कार्यवाहियां बलवों या दंगे द्वारा या उसके नियंत्रण से परे के कारकों द्वारा बाधित होती है या रोकी जाती है (अनुज्ञात नहीं करेगा।

13 रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र में दिए गए अंग्रेजी वर्णानुक्रमिक क्रम में नाम और पते सहित यथा विनिश्चत विधिमान्य नामांकनों की सूची उसी दिन, जिस दिन नामांकन पत्रों की जांच पूर्ण हो जाती है, प्रदर्शित या प्रकाशित की जाएगी।

14 कोई भी अभ्यर्थी] अपने नामांकन पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उस दिन से आगामी दिन, जिसको विधिमान्य नामांकन प्रकाशित किए गए हैं, पांच बजे अपरान्ह से पूर्व] नगर विक्रय समिति के रिटर्निंग अधिकारी को स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में और व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत नोटिस द्वारा अपनी अभ्यर्थिता को वापस ले सकेगा। अभ्यर्थिता को वापिस लेने का एक बार दिया गया नोटिस अप्रतिसंहरणीय होगा।

15 जहां अभ्यर्थियों की संख्या , जिनके नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हैं , निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं होती है तो वहां रिटर्निंग अधिकारी समस्त ऐसे अभ्यर्थियों के नामो की घोषणा करेगा और उपरोक्त खण्ड 14 के अधीन, अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए नियत दिन के बन्द होने के समय

के पश्चात् उन्हें नगर विक्रय समिति के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए , घोषित करेगा। जहां अभ्यर्थियों की संख्या जिनके विधिमान्य नामांकन] निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हैं , तो वहां रिटर्निंग अधिकारी शीघ्र मतदान संचालित करने के लिए तारीख नियत करने की व्यवस्था करेगा। रिटर्निंग अधिकारी एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी , जो मतदान संचलित करने के लिए आवश्यक हों , नियुक्त कर सकेगा। निर्वाचन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले मतपत्र प्ररूप–2 में होगें।

16 स्थानीय प्राधिकरण रिटर्निंग अधिकारी को , मत मत पेटियां , मतपत्र , पथ विक्रेताओं या मतदाताओं की सूची की प्रति तथा ऐसी अन्य वस्तुएं, जो निर्वाचन के संचालन हेतु आवश्यक हों , उपलब्ध करवाएगा। मत पेटी इस प्रकार से डिजाइन की जाएगी कि मतपत्र उसमें डाले तो जा सकें किन्तु मत पेटी का ताला खोले बिना उसमें से निकाले न जा सकें। निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी , रिटर्निंग अधिकारी को पत्र द्वारा दोनो स्थानों , जहां मतदान किया जाना है] पर मतदाताओं की पहचान करने और मतों की रिकार्डिंग देखने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे पत्र में सम्बद्व अभिकर्ता की प्ररूप 3 में लिखित सहमति होगी।

17 किसी व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर जहां निर्वाचन संचालित किया जाना है मतों के लिए सयांचना करना निषिद्ध होगा।

18 रिटर्निंग अधिकारी , मतदान प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व खाली मत पेटी को ऐसे व्यक्तियों को दिखाएगा जो उस समय वहां उपस्थित हों और तब उस पर ताला और अपनी मोहर लगाएगा । अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता] यदि उसकी ऐसी वाँछा हैं, अपनी मोहर भी लगा सकेगा ।

19 प्रत्येक पथ विक्रेता या मतदाता] जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता हो , को सुविधा अनुसार या तो मुद्रित , टंकित या साइक्लोस्टाइल , अंग्रेजी वर्णानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित , निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वाला मत–पत्र देगा । मत–पत्र पर नगर विक्रय समिति की मोहर के साथ–साथ रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर भी होंगे और इसके अतिरिक्त उसमें मतदाता के लिए एक और स्तम्भ होगा जिसमें अभ्यर्थी] जिसको वह मत देना चाहता है]के नाम के सामने (X) का चिन्ह अंकित करेगा ।

20 प्रत्येक मतदान केन्द्र और जहाँ किसी केन्द्र में एक से अधिक पोलिंग बूथ हैं तो वहां प्रत्येक ऐसे बूथ में पृथक् कक्ष होगा, जिसमें पथ विक्रेता या मतदाता गोपनीयता से अपना मत डाल सकता है ।

21 किसी भी पथ विक्रेता या मतदाता को तब तक कोई भी मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि मतदान अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि सम्बद्ध पथ विक्रेता या मतदाता वही व्यक्ति है , जो उसे दी गई सूची में अभिलिखित है । ऐसे मतपत्र की प्राप्ति पर पथ विक्रेता या मतदाता इस प्रयोजन हेतु स्थापित मतदान कक्ष में जाएगा और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को , जिसके/जिनके पक्ष में वह अपने मत का प्रयोग करना चाहता है , यथास्थिति , उस या उन अभ्यर्थियों के नामों के सामने (X) चिन्ह अंकित करके , उपदर्शित करेगा और मतपत्र को इस प्रयोजन हेतु

रखी गई मत पेटी में अत्यंत गोपनीयता से डाल देगा । यदि अंधता या अन्य किसी शारीरिक शैथिल्य या निरक्षरता के कारण पथ–विक्रेता या मतदाता मतपत्र पर चिन्ह अंकित करने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी और जहां ऐसा कोई मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है , वहां रिटर्निंग अधिकारी उस से उस अभ्यर्थी या उन अभ्यार्थियों का पता लगाएगा , जिन के पक्ष में वह मत डालना चाहता है तब इस पर उस की/उनकी ओर से मतपत्र पर (X) का चिन्ह लगाएगा और मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा ।

22 मतदान के किसी चरण में यदि किसी बलवे या दंगे द्वारा ऐसे निर्वाचन से कार्यवाहियां बाधित होती हैं या रोकी जाती हैं तथा यदि किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी किसी पर्याप्त हेतुक से नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में , ऐसी कार्रवाई हेतु अपने कारणों को अभिलिखित करके मतदान को रोक सकेगा ।

23 किसी भी पथ विक्रेता या मतदाता को नियत समय के पश्चात् मतदान के लिए प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा किन्तु कोई मतदाता जो उस परिसर में मतदान के लिए नियत समय समाप्त हो जाने से पूर्व प्रविष्ट हो चुका है , उसे मतपत्र जारी किया जाएगा और उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

24 मतदान की समाप्ति के तुरंत पश्चात् मतों की गणना की जाएगी । यदि यह संभव नहीं है तो मतपेटी को रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता , यदि वे ऐसा करना चाहते हैं , की मोहर से सीलबंद किया जाएगा और ऐसी मतपेटी को स्थानीय प्राधिकरण के पास अभिरक्षा हेतु रखा जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी तब मतगणना के लिए आगामी दिन की घोषणा करेगा । मतों की गणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को मतगणना के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार होगा । परन्तु मतगणना के समय किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की अनुपस्थिति] मतगणना को और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा को निष्फल (अवैध) नहीं करेगी । जैसे ही मतों की गणना पूरी हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गए मतों की संख्या और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी ।

25 निर्वाचन के परिणाम को नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में भी अभिलिखित किया जाएगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा उसे नगर विक्रय समिति के सूचना पट पर भी तुरंत प्रदर्शित(नोटिफाई) किया जाएगा ।

26 मतों के बराबर होने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी सिक्का उछालकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेगा ।

27 मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रद्द/अस्वीकृत कर दिया जाएगा यदि ,–

(i) इस पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो जिससे पथ विक्रेता के मत की पहचान हो सकती हो ;

(ii) इस पर नगर विक्रय समिति की मुहर या रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर न हो ;

(iii) उस पर मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह ऐसे स्थान पर] ऐसी रीति में लगाया गया है जिससे यह संदेहास्पद हो गया है] कि मत किस अभ्यर्थी को डाला गया है ; और

(iv) यह इस प्रकार नष्ट या विरूपित हो कि असली मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं कि जा सकती है ।

28 निर्वाचन के परिणाम कि घोषणा के पश्चात उसे] उस पर रिपोर्ट सहित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा , निर्वाचन परिणाम कि घोषणा के तीन दिन के भीतर] स्थानीय प्राधिकरण के साथ–साथ राज्य सरकार को भी संसूचित जिया जाएगा ।

29 निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित मतपत्र और अभिलेख को मुहरबंद लिफाफे में स्थानीय प्राधिकरण को सौंप देगा । इन्हें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए या ऐसे समय तक जब तक कि निर्वाचन के संबंध में दाखिल किसी विवाद , यदि कोई है , का निपटारा नहीं हो जाता है जो भी पश्चातवर्ती हो , सुरक्षित रूप से परिरक्षित रखा जाएगा और तत्पश्चात स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। निर्वाचन अभिलेख के सुपुर्द करने तथा लेने की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ] सरकार के साथ–साथ स्थानीय प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी ।

प्ररूप 1

{ नियम 6 देखें }

(अनुसूची का खंड 9)
नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन का प्ररूप

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,
————————————————
नगर विक्रय समिति ,
————————————————

श्रीमान जी ,

मैं ,..... पत्नी / सुपुत्र/सुपत्री श्री ..... नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में विक्रय करने वाला पथ विक्रेता (रजिस्ट्रीकरण/ विक्रय प्रमाण पत्र संख्या .....) एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री .....पत्नी /पुत्र/सुपत्री श्री..... , उक्त नगर विक्रय समिति का पथ विक्रेता (रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र संख्या .....) , को उक्त समिति के सदस्य के पद हेतु .....को होने वाले निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ ।

प्रस्थापक का नाम तथा हस्ताक्षर .....
रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र की संख्या .....

मैं , ... पत्नी/पुत्र/सुपत्री श्री ..... , रजिस्ट्रीकरण /प्रमाण पत्र संख्या ..... नगर विक्रय समिति ..... , एतद्द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ / करती हूँ ।

समर्थक का नाम तथा हस्ताक्षर .....
रजिस्ट्रीकरण /विक्रय प्रमाणपत्र की संख्या.....

अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं ————————————————————, पत्नी/पुत्र/सुपत्री श्री ———————————— नगर विक्रय समिति के अधिकारिता के क्षेत्र में विक्रय करने वाला पथ विक्रेता (रजिस्ट्रीकरण /विक्रेता प्रमाणपत्र संख्या —————————) नगर विक्रय

समिति ———————————— के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अपने नामांकन के लिए एतद्द्वारा सहमति देता हूँ /देती हूँ ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि :–

(i) मैं उक्त नगर विक्रय समिति का/की कर्मचारी नहीं हूँ ;

(ii) मैं मतदान करने का/की पात्र हूँ ; और

(iii) मैं पथ विक्रेता (जीविका सरंक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम ,2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनयम संख्याक 7 और तद्धीन बनाए गए हिमाचल पथ विक्रेता (जीविका सरंक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम , 2016 के उपबन्धों के अधीन उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर ————————————

रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र की संख्या ————————————

(केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए)

————————(स्थान) में————————(समय और तारीख) को नांमाकन पत्र प्राप्त किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर————————————

अभिस्वीकृति

.....निर्वाचन के लिए.....को.....पूर्वाहन/अपराहन.....

.....श्री/श्रीमति/सुश्री.....अभ्यर्थी/प्रस्थापक/समर्थक द्वारा प्रस्तुत.....

का नामांकन प्ररूप प्राप्त किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मोहर .....

प्ररूप–2

(नियम 6 और अनुसूची का खण्ड 15 देखें)

नगर विक्रय समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतपत्र

नगर विक्रय समिति के सदस्यों, जिन का निर्वाचन हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जिविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 से संलग्न अनुसूची–1 के अधीन संचालित किया जाना है, के निर्वाचन के मतपत्र।

.....नगर विक्रय समिति

.....

पता.....

(प्रतिपर्ण)

.....पद के लिए मतपत्र

निर्वाचन की तारीख.....

क्रम संख्या.....रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र की संख्या.....

मतपत्र संख्या.....

कृपया किसी एक अभ्यर्थी के सामने [X] चिन्ह लगाएं

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र की संख्या	मत डालने हेतु चिन्ह

प्ररूप–3

(नियम 6 और अनुसूची का खण्ड 16 देखें)

निर्वाचन अभिकर्ता/ गणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु पत्र

मैं ....., पत्नी/पुत्र/सपुत्री श्री..... ,जिसकी नगर विक्रय समिति की रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र संख्या.....है, उक्त समिति के सदस्य का निर्वाचन लड़ने वाला, तारीख .....(तारीख विनिर्दिष्ट करें) को होने वाले उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपना निर्वाचन अभिकर्ता/ गणना अभिकर्ता के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम तथा हस्ताक्षर.....

रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र संख्या.....

मैं ..... , पुत्र/पत्नी/सपुत्री श्री ..... पता ..... निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता बनने का इच्छुक हूँ।

अभिकर्ता के हस्ताक्षर,

प्ररूप–4

(नियम 19 देखें)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा शिकायत निवारण समिति को आवेदन

20..... की आवेदन संख्या.....

..... आवेदक

बनाम

..... प्रत्यर्थी

1. आवेदक का नामः

2. पत्राचार का पताः

3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया आई0डी नम्बर (यदि जारी किया गया है)

4. विक्रय हेतु प्रमाण पत्र को जारी करने की संख्या तथा तारीख

5. विक्रय का स्थान या अवस्थितिः

6. विक्रय क्षेत्र (जोन) या वार्डः

7. विक्रय की प्रकृति

    1) चल

    2) स्थिर (स्थायी)

    3) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8 किस प्राधिकरण के विरूद्व शिकायत हैः

9. शिकायत या विवाद के ब्यौरे(पूर्ण ब्यौरे दें):

10. शिकायत या विवाद के समर्थन में समर्थक दस्तावेजः

11 घोषणाः

मैं , ——————————आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जो कुछ उपरोक्त कथित है , मेरे पूर्ण ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सत्य है और इस आवेदन को नियमों में विहित की गई समय–सीमा के भीतर दाखिल करता हूँ।

12. स्थानः

13 तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण : इस आवेदन के साथ समस्त ससंगत दस्तावेज संलग्न करें।

यदि अपेक्षित हो , इस आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले पृथक् पत्र पर शिकायत या विवाद के पूर्ण ब्यौरे दें।

प्ररूप–5

(नियम 22 देखें)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरूद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

20.. का.....आवेदन संख्या.....

..... आवेदक

बनाम

.....प्रत्यर्थी

1. आवेदक का नामः
2. पत्राचार हेतु पताः
3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी गई पहचान संख्या(यदि जारी की गई है):
4. विक्रय हेतु प्रमाण पत्र को जारी करने की संख्या तथा तारीखः
5. विक्रय का स्थान या अवस्थितिः
6. विक्रय क्षेत्र (जोन) या वार्डः
7. विक्रय की प्रकृतिः
   I. चल
   III. स्थिर (स्थायी)
   III. कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. नगर विक्रय समिति का आदेश जिस के विरूद्ध यह अपील की हैः
   I. विक्रय प्रमाण पत्र की नामंजूरी (अस्वीकृति)
   II. विक्रय प्रमाण पत्र का निलंबनः
   III. विक्रय प्रमाण पत्र का रद्दकरणः
9. अपील के आधार के ब्यौरे(पूर्ण ब्यौरे दें):
10. अपील के समर्थन में दस्तावेजः

11. घोषणा

मैं,.....आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जो कुछ उपरोक्त कथित है , मेरे पूर्ण ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सत्य है और इस आवेदन को नियमों में विहित समय सीमा के भीतर दाखिल करता हूँ।

12. स्थानः

13. तारीखः आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणः इस अपील के साथ नगर विक्रय समिति के आदेश सहित समस्त सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

यदि अपेक्षित हो तो इस अपील के साथ संलग्न किए जएने वाले पृथक् पत्र पर अपील दाखिल करने के कारण दें।

प्ररूप–6

(नियम 22 देखें)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरूद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

20.. का.....आवेदन संख्या.....

..... आवेदक

बनाम

..... प्रत्यर्थी

1. आवेदक का नामः

2. पत्राचार हेतु पताः

3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी गई पहचान संख्या(यदि जारी की गई है):

4. विक्रय हेतु प्रमाण पत्र को जारी करने की संख्या तथा तारीखः

5 विक्रय का स्थान या अवस्थितिः

6. विक्रय क्षेत्र (जोन) या वार्डः

7. विक्रय की प्रकृतिः

I. चल

II. स्थिर (स्थायी)

III. कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. शिकायत निवारण समिति का आदेश जिसके विरूद्व अपील की गई हैः

9. अपील के आधार के ब्यौरे (पूर्ण ब्यौरे दें)

10 अपील समर्थक दस्तावेजः

11. घोषणा :

मैं , ... आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जो कुछ उपरोक्त कथित है , मेरे पूर्ण ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सत्य है और इस आवेदन को नियमों में विहित समय–सीमा के भीतर दाखिल करता हूँ।

12: स्थानः

13. तारीखः आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणः इस अपील के साथ नगर विक्रय समिति के आदेश सहित समस्त सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

यदि अपेक्षित हो तो इस अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले पृथक् पत्र पर अपील दाखिल करने के कारण दें।

प्ररूप–7

(नियम 25 देखें)

राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली कालिक विवर्णियों के ब्यौरे।

.....नगर निगम या नगरपानिका परिषद् या नगर पंचायत .....(मार्च या जून या सितम्बर या दिसम्बर) 20.....को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु कालिक विवरणी के निम्नलिखित व्यौरे एतद्द्वारा प्रस्तुत करती है :–

1. तिमाही के दौरान जारी किए, नामंजूर किए , निलंबित किए तथा रद्द किए गए प्रमाण पत्रों के व्यौरे।

व्यौरे	आवेदन	स्वीकृत या जारी किए गए	नामंजूर किए गए	नवीकृत किए गए	निलंबित किए गए	रद्द किए गए
तिमाही के शुरू होने के समय पर लंबित						
नए अभिप्राप्त किए गए						
कुल						
तिमाही के दौरान निपटाये गए						
तिमाही की समाप्ति पर लंबित						

2. पथ विक्रेता का नाम पता, विक्रय का स्थान, विक्रय के प्रकार ,आदि सहित नए सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं की संख्या तथा उनके सम्पूर्ण ब्यौरे।
3. नगर विक्रय समिति की, की गई बैठकों की संख्या।
4. नए चिन्हित विक्रय क्षेत्र, यदि कोई हैं, इस की धारण क्षमता सहित व्यौरे।
5. की गई सामाजिक संपरीक्षा , यदि कोई है, के ब्यौरे।

6. पथ विक्रेताओं के किए ऋण, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमों की उपलब्धता हेतु प्रोत्साहनीय उपायों के ब्यौरे ।
7. कोई अन्य जानकारी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देशित की जाए।

आदेश द्वारा,

(मनीषा नंदा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरी। तारीख शिमला–2, 05-12- 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई तथा सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला–2 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नियमों की प्रति समस्त शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करवाएं तथा विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
3. समस्त, उपायुक्त (सिवाए किन्नौर और लाहौल स्पिति) हि0प्र0
4. आयुक्त, नगर निगम शिमला–171001
5. आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

05/12/16
(वीरेन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।